127

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3085-एक/2012 - विरूद्ध आदेश दिनांक 27-6-2012 - पारित व्दारा - तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना - प्रकरण कमांक 16 अ 2/2011-12

सच्चिदानन्द त्रिपाठी बल्द रामरूद्ध त्रिपाठी
ग्राम टिकुरी खुर्द तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

राजेन्द्र सिंह पुत्र हनुमान दीन सिंह
ग्राम ठिकुरी कोटार तहसील रघुराजनगर
जिला सतना मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री सुरेश पाठक)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18-07-2018 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना व्दारा प्रकरण कमांक 16 अ 2/11-12 में पारित आदेश दिनांक 27-6-12 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार रघुराजनगर को आवेदन देकर ग्राम टिकरी खुर्द की आराजी क्रमांक 21 एंव 28 के सीमांकन की मांग की, जिस पर से तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना व्दारा प्रकरण क्रमांक 16 अ 2/11-12 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक सतना द्वित्तीय तहसील रघुराजनगर से सीमांकन कराते हुये आदेश दिनांक 27-6-12 पारित करके सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक को सुना जाकर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक ने उसके स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 21 एंव 28 स्थित ग्राम टिकुरी खुर्द के सीमांकन का आवेदन दिया है जिस पर से तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना व्दारा प्रकरण क्रमांक 16 अ 2/11-12 पॅजीबद्ध करके सीमांकन की सूचना मेढ़िया कास्तकारों को जारी कराई है। पटवारी हलका के साथ राजस्व निरीक्षक ने मौके पर दिनांक 20-6-12 को ग्रामीणों के समक्ष सीमांकन कार्य किया है तथा मौके पर उपस्थित पंचगणों के समक्ष पंचनामा तैयार किया है। सीमांकन पर आपत्ति न आने से तहसीलदार रघुराजनगर ने आदेश दिनांक 27-6-12 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया है कि वाद विचारित भूमि के सीमांकन के पूर्व कोई सूचना जारी नहीं की गई। मौके पर सीमांकन नहीं किया गया, वल्कि अनावेदक मिलकर पंचनामा बनाकर कागजात तैयार किये गये है और आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है। आपत्ति आमंत्रित करने हेतु समय भी नहीं दिया है । त्रृटिपूर्ण सीमांकन को अंतिम कर देना गलत है इसलिये सीमांकन आदेश निरस्त किया जावे। आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रकरण के अवलोकन से परलिक्षित है कि भूमि सर्वे क्रमांक 21 एंव 28 स्थित ग्राम टिकुरी खुर्द का अनावेदक रिकार्डेड भूमिस्वामी है जिसके कारण इस भूमि का सीमांकन कराने हेतु वह पात्र है। यदि उक्त भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं् की भूमि को प्रभावित होना मानता है वह राजस्व निरीक्षक से वरिष्ठ अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख/

 निगरानी प्र0क्र0 3[illegible]85-एक/2012

सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से स्वयं् की भूमियों का सीमांकन ई0टी0एस0एम0 से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण तहसीलदार रघुराजनगर जिला सतना व्दारा प्रकरण क्रमांक 16 अ 2/11-12 में पारित आदेश दिनांक 27-6-12 में हस्तक्षेप का औचित्य न होने से निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0अली)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर